झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
एकादश (बजट)सत्र
वर्ग–04

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, गुरूवार, दिनांकः– 11,फाल्गुन,1944 (श0) को 02 मार्च, 2023 (ई0) झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
94-	ज0–14	श्री जिगा सुसारण होरो,	पुनर्निर्माण करना।	जल संसाधन	23-02-23
95-	कृष0–04	श्री जिगा सुसारण होरो,	राशि का भुगतान।	कृषि,पशु0एवं सहकारिता	23-02-2
96-	कृष0–05	श्री अमित कुमार मंडल,	विधेयक को वापस लेना।	कृषि,पशु0एवं सहकारिता	23-02-2
97-	क0–02	श्री केदार हजरा,	नियुक्ति करना।	अनु0जा0अनु0 ज0जा0,अ0एवं पि0वर्ग कल्याण	20-02-23
* 98-	कृष0–16	श्रीमती सबिता महतो,	सिंचाई सुविधा बहाल करना।	कृषि,पशु0एवं सहकारिता	24-02-23
99-	क0–01	श्री केदार हजरा,	शिक्षण कार्य प्रारम्भ करना।	अनु0जा0अनु0 ज0जा0,अ0एवं पि0वर्ग कल्याण	20-02-23
100-	ज0–13	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी,	संवेदक पर कार्रवाई करना।	जल संसाधन	23-02-23
101-	ज0–20	श्री रामचन्द्र सिंह,	डैम का जिर्णोद्धार करना।	जल संसाधन	24-02-23
102-	क0–07	श्री दशरथ गागराई,	छात्रावासों का संचालन कराना।	अनु0जा0अनु0 ज0जा0,अ0एवं पि0वर्ग कल्याण	24-02-23
103-	कृष0–07	श्री मनीष जायसवाल,	लाभ देना।	कृषि,पशु0एवं सहकारिता	23-02-23

* तारांक – 532, दिनांक – 28.02.23 द्वारा जल संसाधन विभाग को प्रेषित।

कृ0पृ0उ0.....2/–

01	02	03	04	05	06
104-	कृष0-14	श्री राज सिन्हा,	पदाधिकारी पर कार्रवाई करना।	कृषि,पशु0एवं सहकारिता	24-02-23
* 105-	ज0-01	डॉ0 नीरा यादव,	सुविधा उपलब्ध कराना।	जल संसाधन	20-02-23
106-	कृष0-12	श्री रणधीर कुमार सिंह,	उत्पादन की प्रकिया प्रारम्भ कराना।	कृषि,पशु0एवं सहकारिता	24-02-23
107-	ज0-17	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	सिंचाई सुविधा प्रदान कराना।	जल संसाधन	24-02-23
108-	क0-03	डॉ0इरफान अंसारी,	एजेन्सी को अधिकृत करना।	अनु0जा0अनु0 ज0जा0,अ0एवं पि0वर्ग कल्याण	24-02-23
109-	ज0-02	श्री मथुरा प्रसाद महतो,	डैम का जिर्णोद्धार।	जल संसाधन	20-02-23
110-	खा0-05	श्री अनन्त कुमार ओझा,	कमिशन का भुगतान।	खा0सार्व0वि0 एवं उप0मामले	23-02-23
111-	ज0-08	श्री भानु प्रताप शाही,	जाँच कराना।	जल संसाधन	21-02-23
112-	ज0-03	श्री कमलेश कुमार सिंह,	योजना का कियान्वयन।	जल संसाधन	20-02-23
113-	खा0-04	श्री अमित कुमार मंडल,	कार्रवाई करना।	खा0सार्व0वि0 एवं उप0मामले	24-02-23
114-	कृष0-01	श्री विकास कुमार मुण्डा,	कमियों को पूरा कराना।	कृषि,पशु0एवं सहकारिता	15-02-23
115-	खा0-03	श्री मंगल कालिन्दी,	गोदाम चालू कराना।	खा0सार्व0वि0 एवं उप0मामले	21-02-23
116-	कृष0-11	श्री राजेश कच्छप,	दोषियों पर कार्रवाई।	कृषि,पशु0एवं सहकारिता	23-02-23
117-	मस0-01	श्री अमित कुमार यादव,	पुनःबहाल कर स्थायी करना।	म0बा0विकास एवं सा0सुरक्षा	21-02-23
118-	मस0-03	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	बकाया मानदेय का भुगतान।	म0बा0विकास एवं सा0सुरक्षा	24-02-23
119-	कृष0-09	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	आपूर्ति सुनिश्चित करना।	कृषि,पशु0एवं सहकारिता	23-02-23
120-	क0-05	डॉ0इरफान अंसारी,	समुचित व्यवस्था करना।	अनु0जा0अनु0 ज0जा0,अ0एवं पि0वर्ग कल्याण	23-02-23

* ज्ञापांक - 1229, दिनांक - 01.03.2023 के द्वारा स्थान एवं समय विलम्ब से परिवर्तित।
# ज्ञापांक - 283, दिनांक - 28.02.23 के द्वारा राजेश कच्छप एवं अमित कुमार विलम्ब से परिवर्तित।

कृ0पृ0उ0.....3/-

01	02	03	04	05	06
121-	मस0-02	श्री उमाशंकर अकेला,	सी0डी0पी0ओ0 का पदस्थापन।	म0बा0विकास एवं सा0सुरक्षा	24-02-23
122-	खा0-07	श्री रामचन्द्र सिंह,	कमिशन एवं भाड़ा देना।	खा0सार्व0वि0 एवं उप0मामले	24-02-23
123-	खा0-06	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,	कमिशन तथा अनुकम्पा का लाभ देना।	खा0सार्व0वि0 एवं उप0मामले	24-02-23
124-	खा0-08	डॉ0लम्बोदर महतो,	पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	खा0सार्व0वि0 एवं उप0मामले	24-02-23
125-	ज0-10	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी,	चेक डैम बनाना।	जल संसाधन	23-02-23
126-	कृष0-17	श्रीमती सबिता महतो,	डीप बोरिंग कराना।	कृषि,पशु0एवं सहकारिता	24-02-23
127-	ज0-09	श्री भानु प्रताप शाही,	कार्य पूर्ण कराना।	जल संसाधन	23-02-23
128-	कृष0-06	श्री अनन्त कुमार ओझा,	धान क्रय करना।	कृषि,पशु0एवं सहकारिता	23-02-23
129-	ज0-12	श्री उमाशंकर अकेला,	नहर का जिर्णोद्धार।	जल संसाधन	23-02-23
130-	कृष0-18	श्री सुदिव्य कुमार,	किसानों को लाभ दिलाना।	कृषि,पशु0एवं सहकारिता	24-02-23
131-	ज0-04	श्री कमलेश कुमार सिंह,	पूर्ण कराना।	जल संसाधन	20-02-23
132-	ज0-05	श्री अमित कुमार यादव,	स्वीकृति देना।	जल संसाधन	21-02-23
133-	ज0-21	डॉ0लम्बोदर महतो,	जलाशय का निर्माण।	जल संसाधन	24-02-23
134-	कृष0-02	श्री समीर कुमार मोहंती,	डाटा अपलोड करना।	कृषि,पशु0एवं सहकारिता	21-02-23
135-	ज0-06	श्री समीर कुमार मोहंती,	चेक डैम का निर्माण।	जल संसाधन	21-02-23
136-	खा0-01	श्री विकास कुमार मुण्डा,	सूची प्रकाशित कराना।	खा0सार्व0वि0 एवं उप0मामले	15-02-23
137-	क0-04	श्री मनीष जायसवाल,	कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना।	अनु0जा0अनु0 ज0जा0,अ0एवं पि0वर्ग कल्याण	24-02-23

राँची,
दिनांक-02 मार्च,2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः- प्रश्न- 05/2020-.....654...../वि०स०,राँची,दिनांकः-.....27/02/23.....

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

27/2/23

(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः- प्रश्न- 05/2020-.....654...../वि०स०,राँची,दिनांकः-.....27/02/23.....

प्रतिलिपिः-आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/संयुक्त सचिव (प्रश्न),झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय /प्रभारी सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

27/2/23

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः- प्रश्न- 05/2020-.....654...../वि०स०,राँची,दिनांकः-.....27/02/23.....

प्रतिलिपिः- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा,ऑनलाईन एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/23

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

27.02.23

श्री जिगा सुसारण होरो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–14 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गुमला जिलान्तर्गत भरनो प्रखण्डाधीन बहुप्रतीक्षित पारस जलाशय का निर्माण वित्तीय वर्ष 2017–18 में किया गया था ;	अस्वीकारात्मक। यह योजना वर्ष 1984–85 में कराया गया।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड –01 में उद्धृत जलाशय दो स्थानों क्रमशः गौरटोली एवं माराशिली ग्राम जर्जर होकर टूट चूकी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उक्त स्थानो पर जल रिसाव के कारण मरम्मति की आवश्यकता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–02 में वर्णित गौरटोली एवं माराशिली में संभावित टूटे हुए स्थलों को चिन्हित कर पुर्ननिर्माण में शामिल कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची को स्थल निरीक्षण कर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–14/2023 – 1255 **/राँची, दिनांक** 10.03.23

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 259 वि०स० दिनांक 23.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.3.23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री जिगा सुसारण होरो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–कृष–04 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र.	प्रश्नकर्ता–श्री जिगा सुसारण होरो, मा0स0वि0स0	उत्तरदात्ता–माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
1	क्या यह बात सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिसई के अधीन भरनों प्रखण्ड के भरनो पंचायत स्थित ग्राम–बटकुरी में तालाब जीर्णोद्धार का कार्य बटकुरी पानी पंचायत समिति को वित्तीय वर्ष 2019–20 में दिया गया था ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित समिति को विभाग द्वारा अबतक भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण लाभुकों को राशि का भुगतान लंबित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। संबंधित तालाब का किये गये कार्य के अनुसार पानी पंचायत समिति, बटकुरी को प्रथम किस्त के रूप में राशि रू. 235900.00 का भुगतान किया जा चुका है। लॉकडाउन के कारण कार्य विलंब से पूर्ण किया गया, जिस कारण शेष राशि दिनांक–31.03.2020 को प्रत्यर्पित कर दी गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लाभुकों को राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में संबंधित योजना अन्तर्गत उक्त शेष राशि का बजट प्रावधान कराते हुए भुगतान की प्रक्रिया की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03 / कृ0वि0स0(ता0)–04 / 2023 544 / कृ0, राँची, दिनांक– 01/03/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–367 दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन की 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2023
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03 / कृ0वि0स0(ता0)–04 / 2023 544 / कृ0, राँची, दिनांक– 01/03/2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रॉची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची / विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट / उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2023
सरकार के अवर सचिव।

श्री अमित कुमार मण्डल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–कृष–05 का प्रश्नोत्तर।

क्र.	प्रश्नकर्ता–श्री अमित कुमार मण्डल, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता–माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में कृषि आधारित रोजमर्रा की आम उपभोग की वस्तुओं पर 2% कृषि टैक्स लागू किये जाने से कृषि उपज आधारित उद्योग, उत्पाद, विपणन, प्रसंस्करण उद्योग जैसे व्यवसाय से मंहगाई और बढ़ेगी जो आम लोगों पर वित्तीय बोझा होगा;	झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2022 की धारा–66 (1) में गैर नष्ट होने वाले कृषि उपज पर यथा मूल्य 2% की दर से अधिक नहीं हो और नष्ट होने वाले कृषि उपज एवं पशुधन पर यथा मूल्य 1% की दर से अधिक नहीं हो शुल्क अधिरोपन करेगी और बाजार शुल्क वसूली करेगी, प्रावधानित है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बाजार शुल्क वसूली हेतु निर्धारित दर से संबंधित अधिसूचना निर्गत नहीं की गयी है। फलस्वरूप इस बिन्दु पर जवाब देना समीचीन नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2022 अधिनियमित होकर लागू होने से कृषक, आम उपभोक्ता, कृषि उपज आधारित उद्योग एवं व्यवसाय हित में नहीं है, साथ ही शुल्क प्रभावी किये जाने से राज्य में इंस्पेक्टर राज का भयादोहन बढ़ेगा;	अस्वीकारात्मक। अधिनियम के लागू होने से राज्य में किसानों के हित में बाजार में एक नई व्यवस्था लागू होगी, जिससे किसानों एवं आम उपभोक्ताओं को फायदा होगा।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य के कृषक एवं फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जैसे कई अन्य संगठन आंदोलित है;	राज्य में कृषक आंदोलित नहीं है। स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार उक्त विधेयक के विरोध में झारखण्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आंदोलनरत थे, किन्तु वर्त्तमान में उनके आंदोलनरत रहने की सूचना प्राप्त नहीं है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित विधेयक को राज्य के कृषक एवं सभी वर्गों के हितों के लिए वापस लेना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	लागू नहीं है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–07 / कृ0वि0प0(वि0स0–ता0)–01 / 2023 546 / कृ0, राँची, दिनांक– 01/03/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–269 दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन की 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2023
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–07 / कृ0वि0प0(वि0स0–ता0)–01 / 2023 546 / कृ0, राँची, दिनांक– 01/03/2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रॉची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची / विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट / उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2023
सरकार के अवर सचिव।

श्री केदार हाजरा, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–02.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–क०–02 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की गई है ;	स्वीकारात्मक। घंटी आधारित शिक्षकों की सेवा ली जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त आवासीय विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है ;	अस्वीकारात्मक। विभाग अन्तर्गत वर्तमान में संचालित 143 आवासीय विद्यालयों में से 105 आवासीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक भी नियुक्त/पदस्थापित हैं। 38 आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं/शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से किया जा रहा है। उक्त 105 आवासीय विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की रिक्ति के विरूद्ध घंटी आधारित शिक्षकों की सेवा ली जा रही है।
3	क्या यह बात सही है कि घंटी आधारित शिक्षकों के रहने से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार घंटी आधारित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के रूप में नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2151, दिनांक–15.07.2015 में निरूपित नियमों एवं शर्तों के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर सेवारत घंटी आधारित शिक्षकों को नियमित शिक्षक के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–02/2023–क– 483 /राँची, दिनांक– 28/02/2023

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–64, दिनांक–20.02.2023 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.02.2023

(योगेश कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती सबिता महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या कृष–16 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला खरसावाँ जिलान्तर्गत ईचागढ़ विधान–सभा क्षेत्र के मैसाड़ा स्वर्णरेखा डैम से नहर होते हुए 15 कि०मी० लिफ्ट द्वारा सिंचाई की सुविधा होने से लगभग 50 गाँवों में सिंचाई की सुविधा हो सकेगी ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि स्वर्णरेखा डैम से नीमडीह प्रखण्ड अन्तर्गत ओड़िया से 10 कि०मी० की सिंचाई लिफ्ट द्वारा कराने तथा आमटांड नदी से काशीडीह होते हुए घाटशीला कान्डेबेड़ा तक 06 किलोमीटर तक लिफ्ट द्वारा सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 एवं खण्ड–2 में वर्णित स्थलों पर कृषकहित में लिफ्ट द्वारा सिंचाई सुविधा बहाल कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मैसाड़ा गाँव चांडिल बाँध के डूब क्षेत्र में पड़ता है। डूब क्षेत्र में कोई योजना बनाना संभव नहीं है। डूब क्षेत्र से बाहर के गाँवों का सर्वेक्षण के उपरान्त तकनीकी सांभव्यता के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–16/2023 – 1283 /राँची, दिनांक 01/03/23

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 418 वि०स० दिनांक 24.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.3.23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री केदार हाजरा, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–02.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–क०–01 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत जमुआ विधान–सभा क्षेत्र के देवरी प्रखण्ड के पंचायत भेलवाघाटी में आश्रम विद्यालय का भवन वर्ष–2021 में ही विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण स्थानीय अनुसूचित जनजाति छात्र, छात्राओं के शिक्षण कार्य के लिए बनाये गए आश्रम विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है ;	अस्वीकारात्मक। विद्यालय भवन हस्तगत होने के उपरांत संचालन प्रारंम्भ करने के निमित बिजली, पानी, रसोईघर की व्यवस्था, फर्निचर आदि आधारभूत सामग्रियों की उपलब्धता विद्यालय में सुनिश्चित करते हुए संचालन यथाशीघ्र प्रारंभ करने का निदेश आदिवासी कल्याण आयुक्त को दिया गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार अप्रैल से प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र 2023–24 में विद्यालय संचालन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शिक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं होने के लिए संबंधित दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर न्यायोचित कार्रवाई करते हुए आश्रम विद्यालय भेलवाघाटी में शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–10 / वि०स०–01 / 2023–क– 484 / राँची, दिनांक– 28/02/2023

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–65, दिनांक–20.02.2023 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.02.2023

(योगेश कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(100)

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–13 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला में ERM Work of Bayin Banki Irrigation SBD 06/19-20 दिनांक–26.10.2019 द्वारा बरडीहा, मझिआंव प्रखण्ड में संवेदक द्वारा योजना का कार्य घटिया किस्म की सामग्री से कराया जा रहा है, जिससे जनता में काफी आक्रोश है।	अस्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दोषी संवेदक पर कार्रवाई कर भुगतान रोकने एवं प्राक्कलन के अनुरूप परियोजना का कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	कार्य में इस्तेमाल किये जा रहे निर्माण सामग्री एवं कंक्रीट का गुणवत्ता की जाँच की जाती है। विभागीय गुण नियंत्रण प्रमण्डल द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के उपरांत भुगतान की कार्रवाई की जाती है। स्वीकृत प्राक्कलन, स्वीकृत नक्शा एवं एकरारनामा में अंकित विशिष्टियों के अनुरूप क्षेत्रीय अभियंता के पर्यवेक्षण में कार्य कराया जाता है। प्रश्नगत योजना के कार्यों पर शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जाँच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी है। जाँच में आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–13/2023 – 1221 /राँची, दिनांक 28.02.2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 261 वि०स० दिनांक 23.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री रामचन्द्र सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-20 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अंतर्गत महुआड़ांड प्रखण्ड में कुटुदीरी डैम एवं बरवाडीह प्रखण्ड अंतर्गत हरातु डैम का निर्माण लगभग 15 वर्ष पूर्व लघु सिंचाई विभाग, लातेहार द्वारा कराया गया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित दोंनों डैम से स्थानीय कृषकों का हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी जो वर्तमान में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, जिससे सिंचाई कार्य बाधित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कि खण्ड–01 में वर्णित दोंनों डैमों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	महुआडांड प्रखण्ड के कुटुदीरी में अवस्थित सेमरबुढ़नी मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य वर्ष 2018–19 में पूर्ण कराया गया है जिससे कुल 42 हे० क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है। बरवाडीह प्रखण्ड अंतर्गत हरातु मध्यम सिंचाई योजना का सर्वेक्षणोंपरान्त प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। बजटीय उपबंध को देखते हुए योजना के जीर्णोद्धार की कार्रवाई की जाएगी। जल संसाधन विभाग द्वारा सौंदर्यीकरण का कार्य नहीं कराया जाता है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–20/2023...1222... / राँची, दिनांक–28.02.2023

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–397 दिनांक–24.02.2023 के क्रम में ~~5(पाँच)~~ 200 (दो सौ) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

D:\Dixit\My documents\2022-23\Widhan sabha_2022-23\Winter-2022_23\Sri Ramchandra singh-Jo-20.docx

(103)

श्री मनीष जायसवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–कृष–07 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता– श्री मनीष जायसवाल, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0		उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा हार्वेस्ट एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रकचर विकास योजना शुरू कर उक्त योजनान्तर्गत राज्य के ई–नैम में निबंधित किसानों को साईकिल व ई–रिक्शा के साथ–साथ छोटे–छोटे कोल्ड स्टोरेज देने का निर्णय लिया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–2023 में "कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन सह पोस्ट हार्वेस्ट आधारभूत संरचना का विकास" योजना की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 23 दिनांक 22.07.2022 के द्वारा प्रदान की गई है। इस योजनान्तर्गत प्राथमिक प्रसंस्करण/विपणन के तहत आवश्यक व्यवस्था यथा – त्वरित परिवहन, भंडारण, Durable Vegetable crate, Crate mounted bicycle, vegetable cart-pre-fabricated E-Rickshaw, Pack House, Cold Rooms, Crate in Cold Room की स्थापना तथा कृषकों/कृषक समूहों को e-NAM से संबद्ध किया जायेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में Bicycle (10 each in 606 Rural Haat), Durable Veg Crate for Bicycle, Veg Cart- Paddle Tricycle, Durable Veg Crate for Tricycle, Veg Cart-E Rickshaw, Durable Veg Crate for E Rickshaw, Cold Room (APMC) Cold Room (Rural Haat) Crate in Cold Room (50 in each) हेतु 25.00 करोड़ रू0 स्वीकृत एवं आवंटित की गई है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य इ–नैम में कुल–2.44 लाख किसान निबंधित है जिसमें हजारीबाग के कुल–28,759 किसान निबंधित है परन्तु अबतक यहाँ के किसानों को उक्त योजना का लाभ नहीं दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। योजना का कार्यान्वयन प्रकियाधीन है। निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत योजना का कार्यान्वयन प्रस्तावित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित योजना का लाभ हजारीबाग के किसानों को देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। योजना का कार्यान्वयन प्रकियाधीन है। निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत योजना का कार्यान्वयन प्रस्तावित है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–07/कृ0वि0प0(वि0स0–ता0)–02/2023 549 **/कृ0, राँची, दिनांक**–01.3.2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–265 दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2023

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–07/कृ0वि0प0(वि0स0–ता0)–02/2023 549 **/कृ0, राँची, दिनांक**–01.3.2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रांची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची/उप सचिव, प्रशाखा–9 (विधायी शाखा), कृषि प्रभाग/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

श्री राज सिन्हा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–कृष–14 का प्रश्नोत्तर।

क्र.	प्रश्नकर्ता–श्री राज सिन्हा, मा0स0वि0स0	उत्तरदात्ता–माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
1	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2022–23 की अवधि में राज्य के कुछ चयनित जिलों में कृषकों के बीच प्रिजर्वेशन यूनिट (संरक्षण इकाई) का वितरण पूर्णतः अनुदान पर की गयी थी;	अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि में राज्य योजना अन्तर्गत राज्य बागवानी मिशन गैर कार्यान्वित जिलों में योजना के तहत राज्य के गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, गोड्डा, साहेबगंज, गढ़वा एवं कोडरमा जिलों में कृषकों के बीच प्रिजर्वेशन यूनिट (संरक्षण इकाई) का वितरण 50% सहायता अनुदान पर किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 में योजना का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि बोकारो, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, गोड्डा और अन्य जिलों में इस यूनिट के वितरण में विभागीय प्रावधानों का उल्लंघन हुआ और निर्धारित दर और गुणवत्ता की बजाय सस्ते और घटिया उपकरणों की आपूर्ति किसानों को की गयी;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जाँच समिति बनाकर प्रावधान का उल्लंघन करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	विभागीय आदेश सं0–66 दिनांक–05.01.2023 एवं शुद्धि–पत्र सं0–76 दिनांक–06.01.2023 के द्वारा विभागीय जांच हेतु चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। जांच समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित करने के उपरान्त विभागीय समीक्षोपरान्त नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(ता0)–11/2023 547 /कृ0, राँची, दिनांक– 01.03.2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–387 दिनांक–24.02.2023 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन की 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2023
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(ता0)–11/2023 547 /कृ0, राँची, दिनांक– 01.03.2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट/उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2023
सरकार के अवर सचिव।

श्री रणधीर कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा विधान सभा में दिनांक– 02.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– कृष– 12 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र० सं०	तारांकित प्रश्न	उत्तर सामग्री प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला के सारठ में दुग्ध प्रोसेसिंग प्लांट मेधा मदर डेयरी चल रहा है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सारठ मेधा डेयरी में सिर्फ दुग्ध का ही प्रोसेसिंग हो रहा है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्लांट में दही, पनीर, लस्सी उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	मेधा डेयरी प्लांट, सारठ में राज्य सरकार द्वारा कोगुलेटेड एवं फरमेंटेड दूध उत्पाद इकाई की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त के आलोक में दही, पनीर एवं लस्सी का उत्पादन शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 16/2023 228 / **राँची, दिनांक** 01/03/23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 388 दिनांक 24.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

शिवकुमार
01.03.2023
(शिव कुमार केडिया)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 16/2023 228 / **राँची, दिनांक** 01/03/23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक 276 दिनांक 27.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

शिवकुमार
01.03.2023
सरकार के अवर सचिव

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के महागामा विधानसभा क्षेत्र के किसानों को समुचित सिंचाई व्यवस्था नहीं मिल पाने के कारण सुखाड़ का दंश झेलना पड़ता है।	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वहाँ के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सोनेपुर बीयर के लाईनिंग एवं मरम्मति के कार्य तथा सुन्दर दायाँ मुख्य नहर से लावाभुजानी चेकडैम तक नहर निर्माण हेतु DPR समर्पित है।	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित DPR को स्वीकृति प्रदान करते हुए महागामा विधान सभा क्षेत्र के किसानों को समुचित सिंचाई सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	(i) महागामा विधासभा क्षेत्र के अन्तर्गत सुन्दर दायाँ मुख्य नहर के Tail End (चेन सं० 635.00) से लावाभुजानी चेक डैम तक नहर निर्माण हेतु DPR तैयार कराया गया है। जिसकी जाँच क्षेत्रीय अधीक्षण अभियंता, रूपांकण अंचल, देवघर द्वारा की जा रही है। जाँचोपरांत उक्त DPR प्राप्त होने पर इस पर विचार किया जाएगा। (ii) सोनेपुर वीयर योजना के मुख्य नहर के PCC लाईनिंग कार्य का DPR सुधार हेतु क्षेत्रीय कार्यालय को लौटाया गया है। सुधारोपरांत प्राक्कलन प्राप्त होने पर इसकी स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–17/2023 – 1220 /राँची, दिनांक 28.02.2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 396 वि०स० दिनांक 24.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-02.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित संख्या-ज०-02 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत टुंडी प्रखण्ड के तहत मछियारा पंचायत के चैनपुर ग्राम में चैनपुर डैम अवस्थित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित डैम का कई वर्षों से गहरीकरण/जीर्णोद्धार नहीं होने से मिट्टी एवं झाड़ियाँ भर जाने के कारण जलजमाव अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–(01) में वर्णित डैम का गहरीकरण/जीर्णोद्धार हो जाने से आस–पास के ग्रामीणों को कृषि में सुलभ एवं रोजगार में सृजन प्राप्त होगा;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित डैम का गहरीकरण/जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	प्रश्नगत् योजना का प्राक्कलन तैयार किया गया है। जाँचोपरान्त बजटीय उपबंध के आलोक में योजना के पुर्नस्थापन कार्य का निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–02/2023 1218 / राँची, दिनांक– 28.02.2023

तिलिपि :–(1)उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–60 दिनांक–20.02.2023 के क्रम 200 (दो सौ) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, रखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन भाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं वश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

(110)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा०–05 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री अनन्त कुमार ओझा
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव,मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता
मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राजमहल विधान सभा क्षेत्र सहित साहेबगंज जिला में 963 जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा लाभुकों के आधार सिडिंग के कार्य तथा डिजिटल वितरण प्रणाली के तकनीकी खामियों के कारण लाभुकों का खाद्यान्न की आपूर्ति विगत् तीन महीनों से विभिन्न प्रकार के कार्डधारकों को सुचारू रूप से नहीं हो पाई है;	जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण प्रक्रियाओं में कई तकनीकी खामियाँ उत्पन्न होती हैं यथा सुदुरवर्ती क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या, ई–पॉस मशीन में तकनीकी खराबी, सर्वर की समस्या आदि जिन्हें 4G Dongle एवं 12db Antenna की उपलब्धता तथा ई–पॉस मशीन में तकनीकी खराबी को अविलम्ब सुधार कर वितरण सुनिश्चित की जाती है। आधार सिडिंग होने से वास्तविक लाभुकों की पहचान सुनिश्चित हो पाती है। दिनांक 01 फरवरी, 2023 से 21 फरवरी, 2023 तक "PDS सशक्तिकरण पखवाड़ा" का आयोजन किया गया है जिसमें अन्य कार्यों सहित आधार सिडिंग संबंधित समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। साहेबगंज जिला में तकनीकी खामियों का प्रभाव वितरण कार्य पर नहीं पड़ा है। दिनांक 27.02.2023 तक साहेबगंज जिलान्तर्गत विगत तीन माह के वितरण की स्थिति निम्नवत् है :– क्र० | माह | मद | वितरण % 1 | नवम्बर, 2022 | NFSA | 96.48 2 | दिसम्बर, 2022 | NFSA | 96.01 3 | जनवरी, 2023 | NFSA | 92.57 माह जनवरी, 2023 का खाद्यान्न FCI से विलंब से प्राप्त होने के कारण वितरण जारी है। स्पष्ट है कि खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है।
(2) क्या यह बात सही है कि जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा अपनी मांगों के अनुरूप यथा 2जी के बदले 4जी इन्टरनेट सेवा, ई–पॉश मशीन में प्रयोग किए जाने वाले पेपर, कमीशन की बकाया का ससमय भुगतान न मिल पाने के कारण आंदोलनरत था, जिस कारण जन वितरण प्रणाली में आमजन को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा;	पूरे देश में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा दिनांक 07.02.2023 से 09.02.2023 (तीन दिन) तक केन्द्र सरकार से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में थे। डीलरों द्वारा संबंधित कार्डधारियों को हड़ताल के संबंध में पूर्व ही सूचना दे दी गई थी। साथ ही समाचार पत्रों में भी डीलरों के हड़ताल से संबंधित सूचना का प्रकाशन भी हुआ था तथा जगह–जगह पोस्टर/बैनर भी डीलरों द्वारा लगाया गया था। उक्त तिथि को छोड़कर पूरे माह खाद्यान्न का वितरण जारी है। तकनीकी कारणों से भी कार्डधारियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न तकनीकी खाद्य सामग्री की ससमय उपलब्धता तथा डीलरों को ससमय कमीशन का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में राज्यभर में कार्यरत ई–पॉस मशीन 2G मोड में है। विभाग द्वारा कमजोर नेटवर्क क्षेत्रों वाले दुकानों में 4G Dongle एवं 12db Antenna का अधिष्ठापन करते हुए वितरण में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जा रहा है। प० सिंहभूम के 50 जन वितरण प्रणाली दुकानों एवं रामगढ़ जिले के 07 जन वितरण प्रणाली दुकानों में पॉयलट आधारित 4G मशीनों का परीक्षण किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों से एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्राप्त होने वाले उपभोक्ता मूल्य को संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा डीलर कमीशन के रूप में रखने का प्रावधान था। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक लाभुकों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके आलोक में खाद्यान्न वितरण के विरूद्ध डीलर कमीशन के भुगतान हेतु राशि जिलों के पास उपलब्ध करायी गई है एवं डीलर कमीशन के भुगतान हेतु दिशा निर्देश दिये गये हैं।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–06/2023 721 /राँची, दिनांक 28/02/23

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–256, दिनांक 23.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2023
सरकार के अवर सचिव।

E:\Vikash PC\Vikash Kumar-2022-23\B Krishna Udaya\Bidhan Sabha\Budget Session 2022-23\bidhan sabha Question & Answer 02-03-2023.doc5

(111)

माननीय स0वि0स0, श्री भानु प्रताप शाही द्वारा दिनांक 02.03.2023 को पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0– ज–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्रं0	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला अन्तर्गत भवनाथपुर विधान सभा क्षेत्र में सोन नदी–कनहर नदी सिंचाई पाईप लाईन योजना का कार्य संचालित है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि एल0एन0टी0 के द्वारा बिना रैयतों की सहमति प्राप्त किये हुए तथा बगैर रैयतों को मुआवजा दिये तथा वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बगैर ही निम्न स्तरीय कार्य कराया जा रहा है;	अस्वीकारात्क। 1. परियोजना के संवेदक एल0एन0टी0 के द्वारा बिना रैयतों के सहमति प्राप्त किये कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है। रैयतों के सहमति के उपरांत कार्य कराया जा रहा है। स्थाई संरचाओं के निर्माण हेतु भू–स्वामियों से लिखित सहमति एवं क्रय करने के उपरांत कार्य कराया जा रहा है। 2. पाईप लाईन कार्य झारखंड जल, गैस एवं ड्रेनेज पाईप लाईन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 2018 में निहित प्रावधानों के आलोक में कराया जा रहा है अतः भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब तक कराये गये कार्य के विरुद्ध नियमसंगत फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा का भुगतान 262 किसानों को कर दिया गया है एवं आगे के कार्य में भी फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा भुगतान करने के उपरांत ही कार्य कराया जायेगा। 3. वन विभाग के अंतर्गत पड़ने वाले भूमि में कार्य नहीं कराया गया है। वन विभाग से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही वनक्षेत्र में कार्य किया जायेगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एल0एन0टी0 के द्वारा कराये जा रहे कार्यों की अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कार्य उच्चस्तरीय गुणवत्ता एवं Indian Standard Code (IS Code) अंतर्गत निर्धारित मानक एवं विशिष्टयों के अनुरूप कराया जा रहा है एवं गुण नियंत्रण से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत भुगतान किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 1228 /राँची, दिनांक– 28.02.2023

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक सं0–141, दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23

सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

माननीय स0वि0स0, श्री कमलेश कुमार सिंह द्वारा दिनांक 02.03.2023 को पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0– ज–03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्रं0	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले में सिंचाई क्षमता के सृजन हेतु पलामू पाईप लाईन की योजना वर्ष 2020 से प्रस्तावित है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित योजना अंतर्गत हुसैनाबाद प्रखंड के देवरी ग्राम से सोन नदी से पानी लिफ्ट कर हुसैनाबाद, हैदरनगर एवं मोहम्मदगंज प्रखण्ड के लगभग असिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि पलामू पाईप लाईन योजना का डी0पी0आर0 मुख्यालय को समर्पित हुए लगभग 01 वर्ष व्यतीत होने को है, परन्तु 31 जनवरी 2023 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है?	इस कार्य हेतु चयनित परामर्शी द्वारा समर्पित पी0पी0आर0 के जांच के क्रम में जल आकलन में कतिपय विसंगति पाई गई थी, जिसका निराकरण कर परामर्शी द्वारा संशोधित पी0पी0आर0 तैयार किया जा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पलामू पाईप लाईन योजना के त्वरित क्रियान्वयन का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	संशोधित पी0पी0आर0 के जांचोपरांत योजना का त्वरित कार्यान्वयन किया जा सकेगा।

अनु0:– पूरक सामग्री।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 1224 **/राँची, दिनांक–** 28.02.2023

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक सं0– 61, दिनांक– 20.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23

सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

(113)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा० 04 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री अमित कुमार मंडल
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा के विरूद्ध मेरे द्वारा पत्रांक–JH/R/102/22 दिनांक 08.12.2022 के माध्यम से सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले से शिकायत की जाँच हेतु पत्राचार किया गया है, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है;	माननीय सदस्य विधान सभा श्री अमित कुमार मंडल, स०वि०स० के पत्रांक–JH/R/102/22 दिनांक 08.12.2022 श्री वासुदेव प्रसाद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी गोड्डा के विरूद्ध किये गये शिकायत के संबंध में विभागीय पत्रांक 3863, दिनांक 20.12.2022 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण पूछा गया। उक्त के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–08/जि०आ०, दिनांक 03.01.2023 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत निम्न तथ्य पाये गये :– • प्रताप दत्ता, ग्राम मारखन, प्रखण्ड + जिला–गोड्डा व अन्य का राशनकार्ड पुन Revert करा दिया गया है। • जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा के आदेश संख्या–07, दिनांक 03.01.2023 द्वारा सर्वोदय स्वयं सहायता समूह, जन वितरण प्रणाली दुकानदार, रमला को निलंबन मुक्त कर दिया गया है एवं उक्त दुकानदार को खाद्यान्न का आवंटन भी उपलब्ध कराया गया है। • पथरगामा एवं बसंतराय प्रखण्ड अन्तर्गत खाद्यान्न की कमी के कारण क्रमशः माह अप्रैल, 2021 एवं जून, 2021 में खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया किन्तु खाद्यान्न वितरण का आँकड़ा आहार पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहा था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्गत RO (Release Order) एवं SIO (Store Issue Order) में भिन्ता के कारण खाद्यान्न की कमी/वृद्धि का समायोजन किया गया। तदोपरांत उक्त प्रखण्ड के लाभुकों को वर्णित अवधि का अवितरित खाद्यान्न माह जुलाई, 2022 में उपलब्ध कराया गया जिसका वितरण अपवाद पंजी के माध्यम से जन प्रतिनिधि के समक्ष किया गया तथा वितरित किये गये खाद्यान्न की विडियोग्राफी करायी गई है।
(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्तमान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा के विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–11/2023 720 /राँची, दिनांक 28/02/23

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 389, दिनांक 24.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2023

सरकार के अवर सचिव।

(115)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा०–03 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री मंगल कालिन्दी
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत वर्ष 2008 में बनाया गया पटमदा से कटकर बोड़ाम प्रखण्ड बनाया गया है;	वर्ष 2008 में पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत पटमदा प्रखण्ड से काटकर बोड़ाम प्रखण्ड बनाया गया है।
(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2009–10 में चिरूडीह में 20 लाख की लागत से आपूर्ति गोदाम बना है जो अभीतक चालू नहीं किया गया है;	बोड़ाम प्रखण्ड के चिरूडीह में वर्ष 2010–11 में 250 मे० टन क्षमता का गोदाम का निर्माण 7.19 लाख रूपये एवं 2017–18 में 1000 मे० टन क्षमता का गोदाम का निर्माण 95.798 लाख रूपये की लागत से किया गया है, जो क्रियाशील नहीं है।
(3) क्या यह बात सही है कि बोड़ाम प्रखण्ड में 50 राशन डीलर आज भी पटमदा आपूर्ति गोदाम से अपना खाद्यान्न ले जाते है जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	डोर–स्टेप डिलीवरी के तहत् चयनित परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता के माध्यम से बोड़ाम प्रखण्ड के सभी कार्यरत डीलरों को पटमदा स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदाम से उनके दुकान तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार ऊपर वर्णित खण्ड–2 में खाद्य आपूर्ति गोदाम चालू करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बोड़ाम प्रखण्ड अन्तर्गत राज्य खाद्य निगम गोदाम को शीघ्र क्रियाशील करने की कार्रवाई की जा रही है।

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–05/2023 716 /राँची, दिनांक 28/02/23

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 142, दिनांक 21.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/23
सरकार के अवर सचिव।

श्री राजेश कच्छप, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री राजेश कच्छप, माननीय स0वि0स0	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के अलग–अलग प्रमण्डलों में गोचर/पशुचारण भूमि चिन्हित् है, जिसकी रक्षा हेतु भारसाधक विभाग, कृषि विभाग ही है ;	स्वीकारात्मक। गोचर/पशुचारण भूमि सरकारी भूमि का अंश है जो राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रण में है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित भूमि की PROTECTION के बजाय सरकार के साथ–साथ LAND GRABBERS के द्वारा हड़पने की सिलसिला जारी है, जिसके कारण पशुओं को चारण भूमि नहीं मिल पा रही है ;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य अंतर्गत ऐसे मामले प्रकाश में नहीं आए है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित गोचर भूमि की सीमांकन कर रक्षा करने का तथा दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	ऐसे मामले संज्ञान में आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :–5/स0भू0 वि0स0 (तारां0)–37/2023....839.....(5)/रा0 राँची, दिनांक– 01-03-2023

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–270/वि0स0, दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.3.2023
सरकार के अवर सचिव।

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– म०स०–01 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में संविदा पर महिला पर्यवेक्षिका की नियुक्ति की गयी है, जिनके वेतन का भुगतान विगत 20–25 महीने से लंबित है ;	राज्य के 10 जिलों के 52 बाल विकास परियोजनाओं में अनुबंध पर कार्यरत 209 महिला पर्यवेक्षिका के मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 अन्तर्गत माह फरवरी, 2023 तक के लिए आवश्यकतानुरुप राशि सभी 10 जिलों को उपलब्ध कर दी गयी है। गोड्डा एवं देवघर जिलों को छोड़कर 08 जिलों में अनुबंध पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षिकाओं का मानदेय भुगतान माह जनवरी, 2023 तक कर दिया गया है। देवघर जिला में माह दिसंबर 2022 एवं गोड्डा जिला में माह मार्च 2022 तक का मानदेय भुगतान किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि अनुबंध पर नियुक्त पोषण सखी को नौकरी से हटा दिया गया है ;	स्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प संख्या–720, दिनांक–24.03.2022 द्वारा अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका– सह– पोषण परामर्शी (पोषण सखी) का मानदेय भुगतान दिनांक– 31.03.2022 तक करने एवं दिनांक– 01.04.2022 के प्रभाव से इनकी सेवा समाप्त करने संबंधी निर्णय निर्गत है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में लंबित वेतन का अविलम्ब भुगतान करते हुए महिला पयवेक्षिका एवं पोषण सखियों की सेवा पुनः बहाल कर स्थायी करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	पोषण सखियों की सेवा पुनः बहाल करने एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं की सेवा स्थाई करने संबंधी कोई प्रस्ताव सम्प्रति विभागान्तर्गत विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/विधान सभा–47/2023 – 533 राँची, दिनांक : 01.03.2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–135/वि0स0 दिनांक–21.02.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/03/23

(अरशद जेमाल)
सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– म०स०–03 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के 17 जिलों के विभिन्न प्रखण्डों में किशोरियों को ग्रुप के माध्यम से सशक्त बनाने हेतु तेजस्विनी कर्मियों को नियुक्ति किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि तेजस्विनी कर्मियों का विगत आठ माह का मानदेय लंबित है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तेजस्विनी कर्मियों को बकाया मानदेय का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	विभागीय आवंटनादेश संख्या–190 (आ0), दिनांक–31.01.2023 द्वारा तेजस्विनी योजना के क्रियान्वयन हेतु आवंटन निर्गत किया गया है। माह दिसम्बर, 2022 तक के बकाया मानदेय भुगतान हेतु विपत्र कोषागार में प्रस्तुत किया गया है। बकाया मानदेय भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/विधान सभा–54/2023 – 531 राँची, दिनांक : 01.03.2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–391/वि0स0 दिनांक–24.02.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.23

(अरशद जमाल)

सरकार के अवर सचिव।

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या कृष–09 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय सदस्य विधान सभा	उत्तरदाता श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि मत्स्य विभाग द्वारा प्रतिवर्ष मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज एवं स्पॉन की आपूर्ति मत्स्य उत्पादकों से निविदा द्वारा क्रय कर की जाती है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा निविदा में सम्मिलित होने वाले, कितने मत्स्य बीज एवं स्पॉन उत्पादकों में से अधिकांश अन्य राज्यों के हैं जिससे स्थानीय लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता ;	आंशिक स्वीकारात्मक। निविदा की सूचना हेतु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। उपायुक्त द्वारा गठित जिला स्तरीय निविदा क्रय समिति के द्वारा निर्धारत नियम एवं शर्त के अधीन अहर्ताओं को पूर्ण करने वाले निविदाकर्त्ता का चयन किया जाता है। समान मूल्य दर पर स्थानीय हैचरी संचालकों/मत्स्य बीज उत्पादकों/प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को प्राथमिकता दी जाती है। उक्त के क्रम में स्थानीय हैचरी संचालक/मत्स्य बीज उत्पादक/प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादक लाभ प्राप्त कर रहें है।
3.	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों के स्थानीय बीज उत्पादक एवं स्पॉन उत्पादक संस्थानों की भौतिक स्थिति का विश्लेषण नहीं किया जाता है ;	अस्वीकारात्मक। प्रशिक्षित बीज उत्पादकों को अनुदान पर स्पॉन, फीड एवं जाल उपलब्ध कराया जाता है। बीज उत्पादन के सीधा संवाद हेतु मोबाईल रिचार्ज कूपन की उपलब्धता है। जिला स्तर पर स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादक एवं स्पॉन उत्पादक संस्थानों की भौतिक स्थिति का निरीक्षण समय–समय पर क्षेत्रीय प्रभारियों द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर मत्स्य बीज उत्पादकों का प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, जिसमें बीज उत्पादन की भौतिक स्थिति का विश्लेषण भी किया जाता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार मजदूर हित में राज्य में स्थापित मत्स्य बीज एवं स्पॉन उत्पादकों से स्थानीयों को सरकार द्वारा आपूर्ति से संबंधित निविदा में कम से कम 50: (पच्चास प्रतिशत) आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश देने के विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उक्त कंडिका–2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 11/2023 294 / रॉंची, दिनांक 01/03/23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉंची को उनके ज्ञापांक 268 दिनांक 23.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2023

सरकार के अवर सचिव

श्री उमा शंकर अकेला, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– म०स०–02 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखण्ड में वर्षों से C.D.P.O का पद खाली है ;	स्वीकारात्मक। हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखण्ड में विगत 03 वर्षों से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पद खाली है। वर्त्तमान में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौपारण, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के प्रभार में हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि चौपारण प्रखण्ड में 172 (एक सौ बहत्तर) आंगनबाड़ी केन्द्र है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि इतने आंगनबाड़ी केन्द्र में C.D.P.O पदस्थापित नहीं होने के कारण दूसरे पदाधिकारी अच्छे ढ़ंग से कार्य संचालित नहीं कर पाते है ;	अस्वीकारात्मक। दिनांक– 15.05.2019 से तत्कालीन अंचल अधिकारी एवं वर्त्तमान में प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौपारण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के प्रभार में है तथा परियोजना का कार्य सुचारु रुप से संचालित किया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार चौपारण में C.D.P.O पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	हजारीबाग जिला के चौपारण प्र ाण्ड में उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा स्थानीय व्यवस्था के तहत् बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर अन्य सेवा के पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त कर कार्य संपादित कराया जा रहा है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 224 स्वीकृत बल के विरुद्ध सम्प्रति कार्यरत बल 74 है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को उपलब्ध करा दी गई है। एतद् संबंधी नियुक्तियाँ सम्पादित होने पर सभी परियोजनाओं में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी संवर्ग के पदाधिकारियों का पदस्थापन सुनिश्चित कराया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/विधान सभा–53/2023 – 530 राँची, दिनांक : 01.03.2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–392/वि0स0 दिनांक–24.02.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.03.23

(अरशद जमाल)

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– खा–07 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री रामचन्द्र सिंह
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत बरवाडीह एवं मनिका प्रखण्ड के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह नवम्बर से मार्च तक बेची गई अनाज का कमीशन राशि तथा जनवरी, 2022 से मार्च, 2022 तक का सामग्री ढुलाई भाड़ा विभाग के पास बकाया है;	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों से एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्राप्त होने वाले उपभोक्ता मूल्य को संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा डीलर कमीशन के रूप में रखने का प्रावधान था। इस प्रकार इन दोनों योजनाओं के तहत डीलर कमीशन का बकाया नहीं है। कोरोना संक्रमण एवं इसके बढ़ते दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह मई 2021 से माह मार्च 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना संचालित की गई है। इस क्रम में राज्यनिधि एवं भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम किस्त की Central Assistance की राशि से माह मई 2021 से अक्टूबर 2021 तक की अवधि के लिए डीलर कमीशन के भुगतान की कार्रवाई की गई है तथा राशि के व्यय के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेज दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 की अवशेष अवधि के डीलर कमीशन का भुगतान भारत सरकार से Central Assistance की अधियाचित शेष राशि यथा 1,12,65,50,000.00 (रूपये एक अरब बारह करोड़ पैंसठ लाख पचास हजार मात्र) की प्राप्ति के पश्चात् की जायेगी। राशि की प्राप्ति हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय के पत्रांक–1326, दिनांक 03.08.2022 एवं पत्रांक–1616, दिनांक 28.09.2022 द्वारा राशि की अधियाचना भारत सरकार से की गई है तथा पत्रांक–2067, दिनांक 22.12.2022 एवं पत्रांक–340, दिनांक 20.02.2023 द्वारा राशि हेतु भारत सरकार को स्मारित भी किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह जनवरी, 2022 से मार्च, 2022 तक सामग्री ढुलाई का अभिश्रव संबंधित प्रखण्डों से विलंब से प्राप्त होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया है जिसके भुगतान के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।
(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या राज्य सरकार खण्ड–1 में वर्णित माह का जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का कमीशन एवं भाड़ा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–13/2023 725 /राँची, दिनांक 28/02/23

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 416, दिनांक 24.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2023
सरकार के अवर सचिव।

(123)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– खा० 06 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के पी०डी०एस० डीलरों का वित्तीय वर्ष 2021–22 का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कमीशन की राशि अप्राप्त है;	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह मई 2021 से माह मार्च 2022 तक संचालित की गई है। इस क्रम में राज्यनिधि एवं भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम किस्त की Central Assistance की राशि से माह मई 2021 से अक्टूबर 2021 तक की अवधि के लिए डीलर कमीशन के भुगतान की कार्रवाई की गई है तथा राशि के व्यय के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेज दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 की अवशेष अवधि के डीलर कमीशन का भुगतान भारत सरकार से Central Assistance की अधियाचित शेष राशि यथा 1,12,65,50,000.00 (रूपये एक अरब बारह करोड़ पैंसठ लाख पचास हजार मात्र) की प्राप्ति के पश्चात् की जायेगी। राशि की प्राप्ति हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय के पत्रांक–1326, दिनांक 03.08.2022 एवं पत्रांक–1616, दिनांक 28.09.2022 द्वारा राशि की अधियाचना भारत सरकार से की गई है तथा पत्रांक–2067, दिनांक 22.12.2022 एवं पत्रांक–340, दिनांक 20.02.2023 द्वारा राशि हेतु भारत सरकार को स्मारित भी किया गया है।
(2) क्या यह बात सही है कि जुलाई 2022 के पूर्व राशन दुकानदारों को मिलने वाले अनुकम्पा का लाभ नहीं दिया जा रहा है;	लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2022 के आलोक में अनुज्ञप्तिधारक की 60 वर्ष से पूर्व मृत्यु होने तथा मृत्यु की तिथि एक वर्ष के अंदर आश्रित द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने पर अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाता है।
(3) क्या यह बात सही है कि इन डिलरों को मात्र एक रूपये प्रति किलोग्राम कमीशन की राशि मिलती है;	जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम/झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत खाद्यान्न वितरण के विरूद्ध एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से डीलर कमीशन की राशि जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को मिलती है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पी०डी०एस० डीलरों को पी०एम०जी०के०ए०वाई० का कमीशन तथा अनुकम्पा का लाभ देने एवं कमीशन की राशि एक रूपये से ज्यादा करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। सम्प्रति डीलर कमीशन की वृद्धि के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–12/2023 722 /राँची, दिनांक 28/02/23

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 390, दिनांक 24.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2023

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– खा–08 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
डॉ० लम्बोदर महतो
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में 29 लाख से अधिक राशन कार्डधारियों को पी०डी०एस० दुकानदारों की कोताही के कारण बोकारो जिला के 1,08,126 राशन कार्डधारियों को दिसम्बर माह का सरकारी अनाज लाभुकों को अभी तक वितरण नहीं किया गया है;	पूरे राज्य में NFSA योजनान्तर्गत नियमित रूप से खाद्यान्न का वितरण किया जाता रहा है। माह दिसम्बर, 2022 में राज्य का वितरण 92.95% है। बोकारो जिलान्तर्गत माह दिसम्बर में NFSA योजना में 96.59% खाद्यान्न का वितरण लाभुकों के बीच किया गया है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा ससमय एवं पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण PMGKAY योजना के तहत खाद्यान्न का सम्पूर्ण उठाव नहीं हो सका। फलस्वरूप माह दिसम्बर, 2022 में 67.03% खाद्यान्न का वितरण किया गया है। भारत सरकार द्वारा PMGKAY योजना को दिनांक 31.12.2022 से समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित पात्र लाभुकों को झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) (ग्रीन राशनकार्ड) के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत चावल की प्राप्ति भारतीय खाद्य निगम के OMSS (D)- Open Market Sales Scheme (Domestic) के तहत की जाती रही है। विगत कई माह से भारतीय खाद्य निगम द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) योजना के लिए चावल की आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण योजना का संचालन प्रभावित हुआ है। इस योजना के तहत लाभुकों को खाद्यान्न (चावल) उपलब्ध कराने हेतु निविदा के माध्यम से आपूर्तिकर्त्ता का चयन कर सभी जिलों को आपूर्ति आदेश निर्गत करने का निदेश दिया गया है। इस योजनान्तर्गत शीघ्र ही चावल की आपूर्ति प्रारंभ हो जायेगी।
(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या राज्य सरकार शीघ्र ही वितरण सुनिश्चित कराते हुए दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–14/2023 729 /राँची, दिनांक 01/03/23

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 417, दिनांक 24.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-10 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला के चन्दवा अंचल अनतर्गत ग्राम पंचायत बरवा टोली के ग्राम बेतर में एक नाला बहती है, जिसमें सालों भर पानी रहता है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पाँच वर्ष पूर्व विभाग द्वारा उक्त स्थल पर चेकडैम निर्माण हेतु सर्वे कराकर प्राक्कलन तैयार कराया गया, परन्तु अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे स्थानीय किसान सिंचाई से वंचित है ;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त चेकडैम को बनवाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	ग्राम बेतर के जमुनदाह नाला पर चेकडैम निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–10/2023...1226... / राँची, दिनांक–28.02.2023

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–257 दिनांक–23.02.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

श्रीमती सबिता महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-03.02.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-17 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता- श्रीमती सबिता महतो, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि ईचागढ़ विधान-सभा क्षेत्र के सभी प्रखण्डों यथा-चाण्डिल, नीमडीह, ईचागढ़ एवं कुकड़ू में डीप बोरिंग के अभाव में कृषकों को पटवन में काफी असुविधा हो रही है।	आंशिक स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2017-18 में ईचागढ़ प्रखण्ड में 03 (तीन), चाण्डिल प्रखण्ड में 01 (एक) एवं नीमडीह प्रखण्ड में 03 (तीन) तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में ईचागढ़ प्रखण्ड में 02 (दो), एवं नीमडीह प्रखण्ड में 04 (चार) डीप बोरिंग किया गया है। कृषकों के द्वारा उसका उपयोग पटवन कार्य हेतु किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि ईचागढ़ विधान-सभा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ विशेषकर सब्जियों की खेती होती है और पानी के अभाव में कृषक खेती से वंचित हो रहे हैं।	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के सभी चारों प्रखण्डों में खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीप बोरिंग कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2021-22 में ईचागढ़ प्रखण्ड में 07 (सात) एवं चाण्डिल प्रखण्ड में 02 (दो) डीप बोरिंग का चयन किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में ईचागढ़ विधान-सभा क्षेत्र में कुल 12 (बारह) डीप बोरिंग कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए कृषकों से आवदेन पत्र की माँग की गयी है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(ता0)-09/2023 545 कृ0, राँची, दिनांक- 01/03/2023

प्रतिलिपिः-उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-419 दिनांक-24.02.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2023

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(ता0)-09/2023 545 कृ0, राँची, दिनांक- 01/03/2023

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि प्रभाग/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

(127)

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-09 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिले के प्रखण्ड--भवनाथपुर में कड़िया डैम अवस्थित है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि कडिया डैम के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2007 में दिया गया था परन्तु आज तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार Dam Safety Cell, New Delhi के परामर्श के आलोक में अधूरे पडे कड़िया डैम के कार्य को पूरा कराने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	Director, Dam Safety Monitoring, Central water commission, New Delhi द्वारा कड़ियन मध्यम सिंचाई योजना के संबंध में तकनीकी सूचनाएँ/ऑकडे की मांग की गई है, जिसे उपलब्ध करा दिया गया है। Director, Dam Safety Monitoring, Central Water Commission, New Delhi से Dam Safety Organization में उपलब्ध विशेषज्ञों से योजना की समीक्षा करने हेतु पुनः अनुरोध किया गया है। Director, Dam Safety Monitoring, CWC से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में योजना के निर्माण कार्य को पूरा करने की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–09/2023.....1216..... / राँची, दिनांक–28.02.2023

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–263 दिनांक–23.02.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कॉके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

D:\Dixit\My documents\2022-23\Widhan sabha_2022-23\Winter-2022_23\Sri Bhanu Pratap Sahi-Jo_09.docx

(128)

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-06 का उत्तर प्रतिवेदनः-

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखण्ड, राँची	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के 264 प्रखण्डों में से 236 प्रखण्डों को सुखाड़ घोषित की गई है, जिस कारण धान क्रय के लक्ष्य 80 लाख क्विंटल से घटाकर 36 लाख क्विंटल किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के अधिसूचना संख्या-1291 दिनांक-31.10.2022 के द्वारा राज्य के 226 प्रखण्डों को सुखाग्रस्त घोषित किया गया है। राज्य में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 36,30,000.00 क्विंटल पुनर्निर्धारित किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज, पाकुड़ और दुमका जिले में शून्य प्रतिशत धान की क्रय की गई है, जिसका कारण धान अधिप्राप्ति केन्द्र का प्रारम्भ नहीं हो पाना है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। ई-उपार्जन पोर्टल के अनुसार दिनांक-24.02.2023 तक पाकुड़ जिला में 3865.75 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की गयी है, जबकि साहेबगंज तथा दुमका जिला में धान की अधिप्राप्ति शून्य है। तीनों जिलों में धान अधिप्राप्ति केन्द्र चयनित है, किन्तु सुखाड़ के कारण धान अधिप्राप्ति प्रभावित हुई है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य के अधिकांश जिले के धान अधिप्राप्ति केन्द्र (लैम्पस/पैक्स) की अधिक दूरी होने के कारण भी लक्ष्य के अनुपात में धान कम क्रय हो पायी है ;	अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखण्ड के 226 प्रखण्डों को सुखाग्रस्त घोषित किया गया है, जिसके कारण धान अधिप्राप्ति प्रभावित हुई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-02 में वर्णित जिला में धान अधिप्राप्ति केन्द्र अविलम्ब स्थापित कर धान क्रय करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	खण्ड-2 में वर्णित जिलों में धान अधिप्राप्ति क्रय केन्द्र अधिष्ठापित हैं।

261
28.02.2023

D:\S.Murmu\2022-23\Vidhan saba Question 2022-23.docx

(क्र० पृ० 30)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–07/विधान सभा (तारांकित)–04/2023 सह0 261 /राँची, दिनांक– 28.02.2023

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0–266 वि0स0 दिनांक–23.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं 200 चक्रलिखित प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.02.2023

सरकार के अवर सचिव।

D:\S.Murmu\2022-23\Vidhan saba Question 2022-23.docx

(129)

श्री उमा शंकर अकेला, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–12 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के ईटखोरी प्रखण्ड में बने बक्सा डैम से निकली नहर, हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखण्ड के ग्राम चैथी तक पक्की नहर का जीर्णोद्धार करना था,	अस्वीकारात्मक। बक्सा जलाशय योजना के बक्सा शाखा नहर की लम्बाई 22 कि०मी० है। चैथी गाँव इस शाखा नहर के 20वें कि०मी० के पास है। योजना के पुनरूद्धार कार्य के लिये वर्ष 2019–20 में प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के प्रावधान के अनुसार बक्सा शाखा नहर के 15.85 कि०मी० तक पक्कीकरण कराया गया।
2.	क्या यह बात सही है कि चौपारण प्रखण्ड के ग्राम दादपुर तक ही पक्की नहर के जीर्णोद्धार का कार्य किया गया,	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि चैथी ग्राम तक पक्की नहर का जीर्णोद्धार नहीं होने के कारण आस–पास के किसानों को नहर का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा हैं एवं धान एवं रवी फसल नहीं उपजा पा रहे हैं,	अस्वीकारात्मक। ग्राम चैथी तक नहर का पुनर्स्थापन कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्राम चैथी तक पक्की नहर का जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में ग्राम चैथी तक नहर पक्कीकरण का प्रस्ताव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–12/2023– 129 **/राँची, दिनांक** 28.02.2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 260 वि०स० दिनांक 23.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

E:\MIS Cell Dept\03.01.2022\Note 5\Vidhan Sabha\Feb - March 2023\J-12 (old J-05) Uma Shankar Akela.doc

श्री सुदिव्य कुमार, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-02.03.2023 को पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-18 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता- श्री सुदिव्य कुमार, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य बागवानी मिशन के तहत अनुदानित दर पर सब्जी ओल, मिर्चा, अदरख का बीज राष्ट्रीय निगम से प्राप्त कर कृषकों को वितरित किया जाता है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में गिरिडीह के किसानों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है ;	अस्वीकारात्मक। मिशन फॉर इन्टिग्रेटेड डेवल्पमेंट ऑफ हार्टिकल्चर अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका कार्यान्वयन राज्य के 17 जिलों में किया जा रहा है। शेष 07 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तर्ज पर राज्य योजना अंतर्गत "राज्य बागवानी मिशन गैर कार्यान्वित जिलों में योजना" क्रियान्वित की जा रही है, जिसके तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में गिरिडीह जिले में कुल रु. 108.56 लाख का वित्तीय उपलब्धि है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गिरिडीह के किसानों को खण्ड-01 में वर्णित सुविधा का लाभ दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	वस्तुस्थिति उपर्युक्त कंडिका में स्पष्ट की गयी है। झारखण्ड राज्य बागवानी मिशन के पत्रांक-141 दिनांक-21.02.2023 के द्वारा गिरिडीह जिला सहित राज्य के शेष 07 जिलों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना में सम्मिलित करने का अनुरोध भारत सरकार से किया गया है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-04/कृ0वि0स0(ता0)-07/2023 538 **कृ0, राँची, दिनांक-** 01/03/2023

प्रतिलिपिः- उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-420 दिनांक-24.02.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.23

(राघवेन्द्र झा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ0वि0स0(ता0)-07/2023 538 **कृ0, राँची, दिनांक-** 01/03/2023

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि प्रभाग/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.23

सरकार के उप सचिव।

माननीय स0वि0स0, श्री कमलेश कुमार सिंह द्वारा दिनांक 02.03.2023 को पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0– ज–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्रं0	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार के ज्ञापांक–6342, दिनांक–17.12.2021 के द्वारा सूचित किया गया था कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल मुख्यालय में अधूरा पड़ा अतिथिशाला के भवन को पूर्ण कराने संबंधी कार्य के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022–23 में निधि की उपलब्धता के आलोक में विचार किया जायेगा।;	स्वीकारात्मक। प्रश्नगत अतिथिशाला को पूर्ण करने के निमित क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि उक्त निर्मित भवन बिल्कुल जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। भवन के Column/ Beams एवं Roofs में अत्यधिक Cracks है, जिनकी मरम्मति सामान्य रूप से संभव नहीं है। उक्त के क्रम में, विषयक निर्मित अतिथिशाला भवन की उड़नदस्ता से जाँच की जा रही है है। उड़नदस्ता के जाँच के फलाफल के आलोक में विषयक भवन की मरम्मति/पुनर्निर्माण की कार्रवाई की जा सकेगी।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित अतिथिशाला के अधुरे भवन को पूर्ण कराने हेतु निधि की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद दिनांक 31.01.2023 तक कोई विचार नहीं किया गया है;	यथा कंडिका–1 में वर्णित के अनुरूप।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद अनुमंडलीय मुख्यालय में सिंचाई विभाग के अतिथिशाला के अधूरे भवन को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो?	वर्तमान में विषयक अतिथिशाला भवन उड़नदस्ता के जाँचाधीन है। उड़नदस्ता जाँच के फलाफल के आलोक में तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–6/ज०स०वि०–20–तारांकित–04/2023– 1215 **/राँची, दिनांक–** 28.02.2023

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा राँची को उनके ज्ञापांक सं0– 63, दिनांक– 20.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

E:\Node-4\Vidhan Sabha\Kalesh Kumar Singh-04.docx

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला अन्तर्गत तिलैया डैम नहर परियोजना का डी०पी०आर लगभग वर्ष–2006 से बन कर तैयार है, परन्तु अब तक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है ;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त परियोजना के निर्माण होने से करीब 400 गाँव के लाखों हेक्टर कृषि भूमि की सिंचाई संभव हो सकेगी ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं निर्माण एवं निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्ष 2015 में तिलैया नहर सिंचाई योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में अंकित प्रावधान के अनुरूप इस योजना का निविदा भू–अर्जन की प्रक्रिया को पूरी करने के उपरान्त हीं किया जाना था। भू–अर्जन हेतु Social Impact Assessment का कार्य विनोबा भावे विश्वविद्यालय द्वारा कराया गया। SIA की प्रक्रिया में विलम्ब हुआ। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के फलस्वरूप अधिग्रहित भूमि का वर्त्तमान में बाजार दर से चार गुणा दर पर भुगतान करने का प्रावधान के कारण प्राक्कलन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, जिसके कारण प्रशासनिक स्वीकृति को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता थी। इस बीच Ultra Mega Power Project (UMPP) Koderma के नहीं आने के कारण इसके लिए कर्णांकित 1.00 लाख एकड़ फीट जल को तिलैया जलाशय में उपलब्ध जल से परिमार्जित करते हुए कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह एवं चतरा जिले के प्रखण्डों में पाईपलाईन द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु Tilaiya Mega Lift Irrigation Scheme की परिकल्पना की गयी। उक्त योजना का PPR परामर्शी Sigma Resource Development and Consultants Pvt Ltd, Ranchi द्वारा तैयार कराया गया है जिसकी जाँच केन्द्रीय रूपांकण संगठन (CDO) राँची से

क्र०	प्रश्न	उत्तर
		कराया जा रहा है। प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन के अनुमोदनोपरान्त के कार्यान्वयन हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–05/2023 – 1227 /राँची, दिनांक 28.02.2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 138 वि०स० दिनांक 21.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

डॉ लम्बोदर महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–21 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के गोमिया विधान–सभा अन्तर्गत कसमार प्रखण्ड में चौड़ा जलाशय योजना के निर्माण हेतु सर्वेक्षण एवं डी०पी०आर० बन कर तैयार भी हो गया है परन्तु प्रशासनिक स्वीकृति अब तक नहीं हो पाया है जिसके कारण लाखों किसानों को सिंचाई के लिए कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;	अस्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या राज्य सरकार शीघ्र ही चौड़ा जलाशय योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए अविलम्ब निर्माण कार्य प्रारंभ करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गोमिया विधानसभा अन्तर्गत चौड़ा जलाशय योजना का डी०पी०आर० बनाने हेतु केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया था। जलाशय के स्पीलवे भाग में Soil Bearing capacity की जाँच के लिए Geo Technical Investigation के अन्तर्गत Drilling कार्य किया जाना था, परन्तु ग्रामीणों द्वारा कार्य का विरोध किया गया एवं केन्द्रीय जल आयोग के अभियंताओं को कार्य करने से रोक दिया गया, जिसके कारण योजना का डी०पी०आर० तैयार नहीं हो सका। ग्रामीणों की आम सहमति प्राप्त होने पर केन्द्रीय जल आयोग से डी०पी०आर० बनाने हेतु पुनः अनुरोध किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–21/2023 – 1217 **/राँची, दिनांक** 28.02.2023

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 415 वि०स० दिनांक 24.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/ मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची /प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

E:\Note 5\vidhan Sabha\Feb-2023\J-21 Lamobar Mahato.doc

श्री समीर कुमार मोहंती, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–कृष–02 का प्रश्नोत्तर।

क्र.	प्रश्नकर्ता–श्री समीर कुमार मोहंती, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता–माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
1	क्या यह बात सही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा, चाकुलिया एवं दुमका के खाता धारकों को कृषि ऋण माफी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि JKRMY PORTAL में तकनीकी त्रुटियों के कारण बैंक के उक्त शाखाओं के खाता धारकों का Data अपलोड नहीं हो पा रहा है फलस्वरूप कृषि ऋण माफी योजना के लाभ से वंचित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। बैंक ऑफ बड़ौदा के चाकुलिया शाखा में JKRMY PORTAL पर कुल 213 लाभुकों का Data Upload किया गया जिसमें से 159 लाभुकों का e-KYC पूर्ण किया गया। e-KYC पूर्ण किये गये 159 लाभुकों में से 150 लाभुकों का DNO Level से Approved करते हुए SNO Level पर भेजा गया एवं 69 लाभुकों का PFMS पर Payment Processed किया गया। शेष का तकनीकी कारणों से Reject किया गया, जिसके त्रुटि का निराकरण कर पुनः भेजा जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के दुमका शाखा में JKRMY PORTAL पर कुल 79 लाभुकों का Data Upload किया गया जिसमें से 59 लाभुकों का e-KYC पूर्ण किया गया। e-KYC पूर्ण किये गये 59 लाभुकों में से 46 लाभुकों का DNO Level से Approved करते हुए SNO Level पर भेजा गया एवं 44 लाभुकों का PFMS पर Payment Processed किया गया। शेष का तकनीकी कारणों से Reject किया गया, जिसके त्रुटि का निराकरण कर पुनः भेजा जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित त्रुटियों को दूर करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(ता0)–05/2023 535 /कृ0, राँची, दिनांक– 01/03/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–136 दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन की 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2023
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(ता0)–05/2023 535 /कृ0, राँची, दिनांक– 01/03/2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबवाईट/उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2023
सरकार के अवर सचिव।

135.

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-06 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के चाकुलिया बाजार के उत्तर में जोड़ाखाली, कामारिगोड़ा से गंधरूपी होते हुए बरशोल, बेंद बंगाल सीमा से आगे गंधरूपी नदी अलग–अलग नाम से विस्तृत कृषि योग्य भूमि के बीच से होकर गुजरती है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त नदी (खाल) पर सीरीज चेकडैम का निर्माण कराया जाय तो जल संरक्षण के साथ–साथ किसानों के लिए हजारों एकड़ जमीन पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–02 में वर्णित नदी (खाल) पर सीरीज चेकडैम निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	सर्वेक्षणोपरान्त तकनीकी संभाव्यता एवं लाभ–लागत अनुपात, को देखते हुए योजना निर्माण पर विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–06/2023...1225... / राँची, दिनांक–28.02.2023

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–139 दिनांक–21.02.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कॉके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

D:\Dixit\My documents\2022-23\Widhan sabha_2022-23\Winter-2022_23\Shree Sameer Kumar Mohanti-Jo-06.docx

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा०–01 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री विकास कुमार मुण्डा
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि खाद्य आपूर्ति में अनियमितता को लेकर विभिन्न क्षेत्रों से निरन्तर शिकायतें प्राप्त होती रहती है, जिसमें आम शिकायत होती है कि केन्द्र एवं राज्य का दो राशन आता है, परन्तु एक ही दिया जा रहा है ;	राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभुकों को खाद्यान्न नियमित रूप से वितरित किया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को प्रति लाभुक 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह मुफ्त में वितरण अप्रैल, 2020 से दिसम्बर, 2022 तक किया गया है, जो नियमित खाद्यान्न के अतिरिक्त था। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को समाप्त कर दी गई है। आहार पोर्टल के अनुसार राज्य में NFSA अन्तर्गत लगभग 94% एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के अन्तर्गत 90% लाभुकों को खाद्यान्न वितरित हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित पात्र लाभुकों को झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (ग्रीन राशनकार्ड) के तहत जनवरी, 2021 से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इस योजनान्तर्गत अक्टूबर, 2022 तक लगभग 75% खाद्यान्न का वितरण किया गया है। FCI से OMSS (D)- Open Market Sales Scheme (Domestic) के तहत चावल की आपूर्ति की जाती रही है। विगत कई माह से भारतीय खाद्य निगम द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए चावल की आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण योजना का संचालन प्रभावित हुआ है। इस योजना के तहत लाभुकों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न (चावल) उपलब्ध कराने हेतु निविदा के माध्यम से आपूर्तिकर्त्ता का चयन कर आपूर्ति आदेश निर्गत करने का निदेश जिलों को दिया जा चुका है। इस प्रकार शीघ्र ही लाभुकों को Entitlement के अनुसार प्रतिमाह चावल की आपूर्ति की जायेगी।
(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के ओर से बनाये गए नियम का अनुपालन ना ही ज्यादातर डीलर कर रहे और न ही अधिकारी करवा पा रहे हैं, जैसे कि सरकार की ओर से दिए जा रहे राशन की प्राप्ति (रसीद) ग्राहकों को देना, निश्चित समय पर डीलरों का दुकान खुलना, सरकार द्वारा निर्धारित राशि पर सारे आवंटित किए जा रहे पदार्थो का मिलना;	सरकार द्वारा निर्गत लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2022 का अनुपालन करने हेतु राज्य, जिला एवं प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों द्वारा लगातार जन वितरण प्रणाली दुकानों की जाँच की जाती है। जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान नेगोशिएबल इन्सट्रुमेंट ऐक्ट 1881 के अंतर्गत घोषित अवकाश एवं साप्ताहिक बंदी को छोडकर प्रत्येक दिन प्रातः 8:00 बजे से 2:00 बजे अपराहन तक खुली रहेगी। इसके अतिरिक्त जिला, प्रखण्ड, पंचायत/वार्ड एवं जन वितरण प्रणाली दुकान स्तर पर गठित सतर्कता समितियों द्वारा भी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के कार्य का अनुश्रवण एवं निगरानी की जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानदारों से सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का अनुपालन कराया जा रहा है। साथ ही लाभुकों को जागरूक कराने हेतु कई स्तर से प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार इस मामले की समीक्षा कर डीलरों द्वारा हर माह की निश्चित तिथियों पर दुकानों को खोलने एवं राशन वितरण करने, प्राप्ति रशीद को अनिवार्यता से आवंटित करने, सभी डीलर की दुकानों पर इस माह मिल रहे समानों की सूची को प्रकाशित करवाने हेतु सख्ती से अनुपालन करवाना चाहती है, हाँ तो कब तक, और नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–01/2023 718 /राँची, दिनांक 28/02/23

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–35, दिनांक 15.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/23
सरकार के अवर सचिव।